# डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
# राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)

Web side : www.raujodhpur.org, E-mail- rau_jodhpur@yahoo.co.in


क्रमांक :- रा.आ.वि./लेखा/ जोध/2023-24/8103 दिनांक :- 04-10-2023

## वित्त एवं लेखा समिति की दिनांक 15.09.2023 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण :-

डॉ. स.रा. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वित्त एवं लेखा उपवेशन दिनांक 15.09.2023 को माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षयता में 11.15 बजे विश्वविद्यालय परिसर, करवड, जोधपुर में आयोजित हुआ। इसमें निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया :-

| | |
|---|---|
| 1. प्रो. डॉ. प्रदीप कुमार प्रजापति, कुलपति<br>डॉ. स.रा. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्रीमती सीमा कविया, कुलसचिव<br>डॉ. स.रा. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर। | आमत्रिंत सदस्य |
| 2. श्री दिनेश कुमार बारहठ, कोषाधिकारी (शहर), जोधपुर<br>प्रतिनिधि संभागीय आयुक्त, जोधपुर। | सदस्य |
| 3. डॉ.रमेश वैष्णव<br>उपनिदेशक कार्यालय, आयुर्वेद विभाग, जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री विश्वासु गौड | सदस्य |
| 5. प्रो.श्री चन्दन सिंह<br>आंगिक आयुर्वेद महाविद्यालय, करवड़, जोधपुर | सदस्य |
| 6. श्री मंगला राम बिश्नोई, कुलसचिव/वित्त नियन्त्रक<br>डॉ. स.रा. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर | सदस्य सचिव |

सर्वप्रथम वित्त नियंत्रक एवं सदस्य सचिव ने उपवेशन में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। स्वागत पश्चात् उपनिवेशन के एजेण्डा पर बिन्दुवार चर्चा हेतु अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाही गई। अनुमति पश्चात बैठक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

| एजेण्डा संख्या | एजेण्डा बिन्दु | कार्यवाही विवरण |
|---|---|---|
| 1. | गत बैठक दिनांक 03.03.2023 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन। | समिति के सदस्यों द्वारा यह वर्ष 2018 से 2023 तक बैक समाशोधन का विचार-विमर्श किया एवं शेष कार्य भी आगामी वित्त एवं लेखा समिति में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किये |
| 2. | कौमार भृत्य विभाग के तत्वाधान में अन्तराष्ट्रीय कान्फ्रेन्स " कौमारकॉन-2023" के माह दिसम्बर, 2023 में आयोजन पर होने वाले व्यय के सम्बंध में विचार विमर्श एवं निर्णय। | अन्तराष्ट्रीय कान्फ्रेन्स " कौमारकॉन-2023" के माह दिसम्बर, 2023 में आयोजन पर होने वाले व्यय में अनुमानित व्यय 40.00 लाख का अनुमोदन किया गया। |
| 3. | संजीवनी चिकित्सालय के बालरोग विभाग के अन्तर्गत संचालित सेरेब्रल पाल्सी व आटिज्म यूनिट के पंचकर्म के विविध कर्मों को निःशुल्क करने के सम्बंध में विचार विमर्श एवं निर्णय। | बालरोग विभाग के अन्तर्गत संचालित सेरेब्रल पाल्सी व आटिज़्म यूनिट के पंचकर्म के विविध कर्मों को निःशुल्क करने का निर्णय लिया गया एवं कॉटेज वार्ड शुल्क में 50 प्रतिशत शुल्क माफ करने का निर्णय लिया गया। एडमिशन शुल्क को यथावत रखा गया। |
| 4. | परीक्षा शाखा से सम्बंधित परिवर्तित मानदेय दरों की वृद्धि किये जाने से सम्बंधित कार्यालय-आदेश के सम्बंध में विचार-विमर्श एवं अनुमोदन। | कार्यालय-आदेश संख्या 993 दिनांक 05.06.2023 आदेश संख्या 994 दिनांक 05.06.2023 एवं 1009 दिनांक 05.06.2023 का अनुमोदन किया गया। |
| 5. | सम्पदा अधिकारी से प्राप्त विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु अनुमानित व्यय राशि रूपये 3744.00 लाख के विकास कार्यों के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श। | एजेण्डा बिन्दु अनुसार विचार-विमर्श किया गया। कुलपति निवास हेतु संशोधित वित्तीय स्वीकृति 364.89 लाख की जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। एवं परीक्षा हॉल हेतु राशि 348.74 लाख, डेमोस्ट्रेशन हॉल हर्बल गार्डन हेतु राशि 56.95 लाख, योग साधना एवं मत्र चिकित्सा केन्द्र हेतु राशि रू 194.74 लाख, 250 KL जीएलआर एवं पाइप लाइन हेतु राशि रू 122.71 लाख, संविधान पार्क विकास कार्य 90.76 लाख एवं छात्रा-छात्रावास चारदिवारी निर्माण कार्य हेतु राशि रू 150.64 लाख रू के विकास कार्य विश्वविद्यालय निधि से कराये जाने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कि गई। अन्य कार्यो हेतु राज्य सरकार को बजट निर्णायक समिति में रखने हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। |
| 6. | विश्वविद्यालय में संवेदक के माध्यम से कार्यरत ड्राईवर एवं इलेक्ट्रिशियन के मानदेय/पारिश्रमिक में वृद्धि किये जाने के आदेश का अनुमोदन व विश्वविद्यालय की विभिन्न शाखाओं में विशेष योग्यता प्राप्त मानव संसाधन सेवाएं लिये जाने के आदेश का अनुमोदन। | समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। |
| 7. | विश्वविद्यालय आई.टी. शाखा में संवेदक के माध्यम से कार्यरत विशेष योग्यता प्राप्त मानव संसाधन सेवाओं के मानदेय/पारिश्रमिक में वृद्धि किये जाने के सम्बंध में विचार-विमर्श। | समिति के सदस्यों ने विश्वविद्यालय में संवेदक के माध्यम से कार्यरत मानव संसाधन सेवओं के मानदेय/पारिश्रमिक में वृद्धि हेतु समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति की अनुशंषा के आधार पर वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया। |

<table>
<tr><td>8.</td><td>विश्वविद्यालय में ऑन-कॉल संज्ञाहरण विशेषज्ञ एवं जनरल सर्जन को प्रति सर्जरी दिये जाने वाले मानदेय में संशोधन करने बाबत एवं एलोपैथिक परामर्शदाता की इमरजेंसी सेवाओं हेतु एसीआईएसएम नई दिल्ली के अनुसार नियुक्ति के सम्बंध में विचार-विमर्श।</td><td>प्रस्ताव अनुसार राशि रू 50,000/- पर यू.टी.बी. की भांति पर सक्षम स्तर पर स्वीकृति से सेवाएं लिये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>विश्वविद्यालय के आंगिक होम्योपैथी महाविद्यालय, केकड़ी के अस्थायी भवन में संचालन पर भवन किराया मद में प्रतिमाह व्यय राशि रूपये 60,000/- के जारी आदेश एवं किराया अनुबन्ध का अनुमोदन।</td><td>समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। समिति के सदस्यों द्वारा निर्माणाधीन भवन को शीघ्रताशीघ्र पूर्ण किये जाने का सुझाव भी प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>विश्वविद्यालय में विभिन्न एकाकी पदों पर कार्यरत कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर सृजित करने हेतु एकल पदों के पदोन्नति पदों के सृजन हेतु वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 31.08.2023 को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने के सम्बंध में अनुमोदन।</td><td>समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>विश्वविद्यालय से सम्बंधित विज्ञापनों हेतु सेवा प्रदाता एजेन्सी को देय दरों का अनुमोदन।</td><td>समिति के सदस्यों द्वारा विज्ञापन दरों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। तथा URGENT NATURE के विज्ञापन व्यास एडवरटाईजिंग से तथा अन्य विज्ञापन का प्रकाशन राजस्थान संवाद के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया।</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>विश्वविद्यालय में संचालित कैन्टीन के संबंध में गठित कमेटी के प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श।</td><td>मैस संचालन कमेटी के नाम से स्टेट बैक ऑफ इण्डिया में बैक खाता खोलाजाकर तदनुसार छात्र-छात्रओं से मैस राशि प्राप्त किये जाने एंव मैस संचालन कमेटी द्वारा नियमानुसार निविद्या प्रक्रिया द्वारा मैस संचालित किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई । मैस राशि का निर्धारण 2850/- रू प्रति माह लिये जाने एवं राशि ग्यारह माह के अनुसार एक मुश्त छात्रावास में प्रवेश के समय लिये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>विश्वविद्यालय द्वारा संचालित छात्रावासों के छात्रावास शुल्क का पुनर्निधारण पर विचार-विमर्श।</td><td>प्राप्त प्रस्ताव को समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया एव निम्नानुसार दरों का पुनर्निधारण किये जाने का निर्णय लिया गया। तथा ग्यारह माह का शुल्क दो किस्तों में लिये जाने निर्णय लिया गया
<table>
<tr><th>क्र.स.</th><th>छात्रावास विवरण</th><th>वर्तमान दर प्रतिमाह</th><th>प्रस्तावित दर प्रतिमाह</th><th>विशेष विवरण</th></tr>
<tr><td>1</td><td>नवीन पी.जी. छात्रा छात्रावास</td><td>3000/-</td><td>5000/-</td><td>अटैच लैटबाथ,गीजर एवं समस्त फर्नीचर सहित</td></tr>
<tr><td>2</td><td>नवनिर्मित पी.जी. छात्र छात्रावास</td><td>3000/-</td><td>4000/-</td><td>कॉमन लैटबाथ एवं फर्नीचर सहित</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | यू.जी. छात्र एवं छात्रा छात्रावास | 1500/– | 2000/– | सम्बंधित कक्ष में 01 ही छात्र–छात्रा द्वारा निवास करने परमासिक किराया राशि रूपये 4000/– निर्धारित |

| | | |
|---|---|---|
| 14. | विश्वविद्यालय के कर्मचारियों हेतु ''कार्मिक कल्याण ऋण योजना'' पर विचार-विमर्श। | सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों में कर्मचारीयों हेतु प्रावधित कार्मिक कल्याण योजनाओं का अध्ययन पश्चात प्रस्ताव तैयार किये जाने की सहमति प्रदान की गई। |
| 15. | विधि शाखा से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार पैनल एडवोकेट को देय मानदेय एवं अन्य विविध व्यय के पूर्ननिर्धारण पर विचार विमर्श। | समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव के अनुसार पैनल अधिवक्ता की फीस का पुननिर्धारण कर राशि रू प्रति न्यायिक वाद राशि रू 10,000/- एवं अन्य खर्च पेटे 3000/- रू का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। समान प्रकृति के न्यायिक वाद में द्वितीय वाद से तथा विश्वविद्यालय के पक्ष में निर्णय होने पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त मानदेय/प्रोत्साहन राशि का देने का निर्णय लिया गया। समान प्रकृति के 02 से अधिक प्रकरण होने पर प्रत्येक न्यायिक वाद की निर्धारित फीस राशि का 50 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा। |
| 19 | अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।<br>1.(अ) परीक्षा शाखा हेतु राशि रू 50.00 लाख के ऑप्टीमाइजर एव अलमिरा सेट से फर्नीचर क्रय पर विचार विमर्श ।<br>(ब) गोपनीय शाखा के तीनों हॉल में कोटा स्टोन से निर्मित समस्त अलमारियों को एल्यूमिनियम के स्लाइडर गेट लगवाये जाने पर अनुमानित व्यय राशि रू 5.00 लाख पर विचार-विमर्श।<br>(स) मॉडरेशन कार्य हेतु स्वीकृत राशि रू 1.00 लाख से 2.00 लाख रूपये किये जाने पर विचार-विमर्श। | समिति के सदस्यों द्वारा परीक्षा शाखा से प्राप्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। |

| | | |
|---|---|---|
| | 2. विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक 27.06.2023 द्वारा अनुमोदित पाठयक्रम के फीस निर्धारण हेतु गठित समिति के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श। | विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक 27.06.2023 द्वारा अनुमोदित पाठयक्रम के संबंध में गठित समिति द्वारा फीस निर्धारण के प्रस्ताव को समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित करते हुए निम्नानुसार फीस निर्धारण पर सहमति प्रदान की। |

| क्र.स | पाठ्यक्रम का नाम | प्रशिक्षण अवधि | पाठ्यक्रम शुल्क |
|---|---|---|---|
| 1. | पंचकर्म तकनीशियन | 12 माह | 36000/- |
| 2. | आयुष डायटीशियन | 06 माह | 18000/- |
| 3. | हॉस्पीटल मैनेजमेन्ट | 06 माह | 18000/- |
| 4. | ओल्ड ऐज केयर नर्सिंग असिस्टेन्ट | 06 माह | 18000/- |
| 5. | आयुर्वेद हर्बल ब्यूटीशियन | 06 माह | 18000/- |
| 6 | एक वर्षीय योग प्रशिक्षक | 12 माह | 36000/- |

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

वित्त नियंत्रक एवं सदस्य सचिव

**क्रमांक :- रा.आ.वि./लेखा/जोध/2023-24/8104 – 8110** **दिनांक :- 04-10-2023**

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, डॉ. स.रा. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
2. संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर।
3. प्रमुश शासन सचिव, आयुर्वेद एंव भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार, जोधपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एंव भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार, जोधपुर।
6. निजी सचिव, माननीय कुलसचिव महोदय, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
7. प्रो. चन्दन सिंह, आंगिक आयुर्वेद महाविद्यालय, जोधपुर।

वित्त नियंत्रक एवं सदस्य सचिव